



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1988/चैत्र 10, 1910

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1988/CHAITRA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1988

मा. आ. 357(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सी पञ्चानववां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का द्वितीय अनुसूची में,—

(क) 'वित्त मंत्रालय' के नीचे 'ख. व्यय विभाग' उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"12. लोक सेक्टर उपक्रमों के पुर्जा संरचना प्रस्तावों से संबंधित विषय।";

(ख) 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के नीचे 'ख. राज्य विभाग' उप शीर्षक के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 9 के अर्थात्,—

(क) "अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दिल्ली, गोंवा, दमण और दीव, मिजोरम तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए।";

(ख) उप प्रविष्टि (xiii) को उप प्रविष्टि (xiv) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप

प्रविष्टि (xiv) के पूर्व निम्नलिखित उप प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(xiii) गैर-योजना पदों का सृजन”;

(ii) प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(घ) अन्य विषय

13. स्वतंत्रता सेनानी पेंशन ।”;

(ग) “कर्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,” शीर्षक के नीचे,—

(i) “क. कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग” उप शीर्षक के नीचे, शीर्ष XI और उसके नीचे की प्रविष्टि 44 का लोप किया जाएगा;

(ii) “ख. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग” उप शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“4. कर्मिक प्रशासन में अनुसंधान; राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं आदि के साथ कर्मिक मामलों में संपर्क ।” ।

आर० वेंकटरामन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/2/87- मंत्रि.]

बी. बी. टण्डन,
संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1988

S.O. 357(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety-fifth Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(A) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)” under sub-heading “B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)”, after entry 11, the following entry shall be added, namely :—

“12. Matters relating to Capital Restructuring proposals of the Public Sector Undertakings.”;

(B) under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)” under sub-heading “B. DEPARTMENT OF STATES (RAJYA VIBHAG)”,—

(i) under entry 9,—

(a) for the words “For the Union Territories of Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman and Diu, Mizoram and Pondicherry”, the following words shall be substituted, namely :—

“For the Union Territories of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi and Pondicherry”;

(b) sub-entry (xiii) shall be renumbered as sub-entry (xiv) and before the sub-entry (xiv) as so renumbered, the following sub-entry shall be inserted, namely :—

“(xiii). Creation of Non-plan posts.”;

(ii) after entry 12, the following title and entry shall be added, namely :—

“(d) OTHER SUBJECTS

13. Freedom Fighters’ Pension.”;

(C) under the heading “MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (KARMIK, LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)”,—

(i) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)”, the title XI and the entry 44 thereunder shall be omitted;

(ii) under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES (PRASHASNIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT VIBHAG)”, after entry 3, the following entry shall be added, namely :—

“4. Research in Personnel Administration; liaison with State Governments, professional institutions etc., in personnel matters.”.

R. VENKATARAMAN
PRESIDENT

[F. No. 74/2/2/87-Cab.]
B. B. TANDON, Jt. Secy.